UPBS120003122019

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 231/2019

हरीराम बनाम राकेश आदि

10.05.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 52 ग 2 पर सुना–

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 52 ग 2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि विवादित भूमि के बाबत कोई नक्शा नहीं बना है। इसलिए विवादित जमीन का सर्वे मैप बनाया जाना आवश्यक है। अतः विवादस्थल का सर्वे मैप बनाने के लिए अदालत अमीन को नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र 52 ग 2 पर मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 52 ग 2 के माध्यम से विवादित भूमि की सर्वे रिपोर्ट एवं नक्शा जरिए अदालत अमीन मंगवाये जाने की याचना की गयी है। न्यायालय की राय में वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने तथा वाद के प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु मौके का सर्वे मैप जरिए अदालत अमीन मंगवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र 52 ग 2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 52 ग 2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। बाद पैरवी अदालत अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थनापत्र 52 ग 2 पर अंकित तथ्यों के आलोक में मौके पर नियमानुसार पैमाइश करके अपनी आख्या नियत तिथि तक दाखिल करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते इन्तजार अमीन रिपोर्ट/साक्ष्य वादी दिनांक 22.07.2022 को पेश हो। टी०आई० नियत तिथि तक स्वीकृत।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान बस्ती।